

6

भाग 4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं०..... 11 (अग्र 26)

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 10.05.2018 (तारीख) को 1.40PM (बजे)

*अभ्यर्थी/प्रत्यामक गौ सुलझानम (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 12.05.2018

निर्वाची पदाधिकारी
50-जोकीहाट वि०स०
-सह-अपर समाहर्ता
रिटर्निंग ऑफिसर
अररिया

लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

.....
.....
.....

तारीख

रिटर्निंग ऑफिसर

2

“प्ररूप 26”

Rs-100/-
Salt
10/5/18



(नियम 4 क देखिए)



50- जोकीहाट निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)



विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

AFFIDAVIT No - 110/2018

भाग-क

मैं गौसुल आजम पुत्र रशीद आयु 30 वर्ष, जो ग्राम-कुरसैल कोचटोला, पो0-कुरसैल, जिला-अररिया

(इसक का पूरा पता लिखे) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ करती हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/ करती हूँ शपथ कर निम्नलिखित कथन करता/ करती हूँ:-

(1) मैं जनअधिकार पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/

**एक स्वतंत्र अर्थ्यर्थी के रूप से लड़ रहा हूँ ।

**जो लागु न हो उसे काट दें।

मेरा नाम 50-जोकीहाट (बिहार) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं0-185 के क्रम सं0-894 पर प्रविष्ट है।

) मेरा 8002163155 संपर्क दूरभाष संख्या है। और शून्य

मेरा ई-मेल पता (यदि कोई हो) है तथा (i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य मेरा सोशल मिडिया खाता (यदि कोई हो) है।



10/5/18

1
Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

(1) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति:

क्र. सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रूपया में)
1.	स्वयं	AVKPA235G	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

(2) मैं ऐसे किसी लपित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है।

अगर कोई ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी:-



(क) मैं किसी भी मामले में विरुद्ध लपित है/ हूँ जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी:-

(क)	विरुद्ध लपित रिपोर्ट और संबंधित पुलिस स्टेशन/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सजाान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय जिसके(जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किए गए	शून्य
(च)	नया समी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा की गई है/है	शून्य

Handwritten signature and date:
 10/5/18

2
Handwritten signature: Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

(1) निम्नलिखित मामलों (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान गया है

{पूर्वोक्त मद (1) में वर्णित मामलों से गिन्-}

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपील)/ (ओवदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य

(2) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से गिन्, के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है।
(3) मुझे या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया नहीं गया है।



(4) मुझे अपराधों के संबंध में सिद्धदोष ठहराया गया है और दंडादेश दिया गया है तो वह निम्नलिखित जाकारी प्रस्तुत

(5) मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखों)	शून्य
(ख)	अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	शून्य
(ग)	अधिसूचित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	शून्य

(6) मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियां (जगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

विषय 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

विषय 2- जमा/विनिधान की दिशा में क्रम सं० रकम, जमा की तारीख, स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

विषय 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दिशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

विषय 4- महा आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (6) में है।

विषय 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

Handwritten signature and date: 10/5/18

Handwritten signature and date: Ranjan Kumar Verma 10/5/18
Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	दोबी रोजी पत्नी	लएवा-आश्रित-1	शाएवा आश्रित-2	लाजवाब-आश्रित 3
(i)	हाथ में नकदी	2,00,000.00	50,000.00	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें समय खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	भारतीय स्टेट बैंक, काली मंदिर शाखा अररिया खाता नं०-32210324418 जमा-48,260.00 (दिनांक-09.05.18)	शून्य	शून्य0	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियां/पारस्परिक निधियों और अन्य में जमा धन/शेयरों/डिबेंचरों/शेयरों के बंधुओं में विनिधान के लिए रकम	शून्य	शून्य0	शून्य	शून्य	शून्य
	राज्य योजना, लोक न्याय, बीमा निधि/निधि में विनिधान के लिए रकम और डाकघर या पुराने कंपनी में कितनी वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य0	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	किसी व्यक्ति या निकाश जिसमें फर्म कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्नि और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	मोटरयान/वाहयान/याट/पोत(निक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मोटर शाइकिल अपाची नं०- A/F रू०-86000.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	जवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	सेना-3 तोला चांदी 8 तोला	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	कोई अन्य आस्तियों जैसे कि दावों/हिदा का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	287522	200000	शून्य	शून्य	शून्य

RANJAN KUMAR
NOTARY
 Govt. of Bihar
 Regd No-43/03
 (7217J)
 Expiry Date
 13.10.2018
 Araria (Bihar)

Asw...
 10/5/18

Rkr
Ranjan Kumar Verma
NOTARY
 ARARIA (BIHAR)

11

आ स्थावर आस्तियों के बारे

टिपणी 1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है

टिपणी 2 प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रमांक	विवरण	रकम	बीबी रोजी पत्नी	लएवा-आश्रित-1	शाएवा-2	लाजवाब-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिवा) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	मौजा महलगँव खाता (क) 60,1049,852,847,69 2,846,539,859,279, 1253,63,215,104 खाता (ख) 9262	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	(क)-2.80 एकड़ (ख)-20 डी0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	रजिस्ट्रित समपि की दिशा में क्रय की तारीख	मार्च 2012 (खाता ख-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दिशा में)	2.5 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास स्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	2.5 लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितिवा) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	(क) मौजा-बेलवा खाता-483 (ख) मौजा-बेलवा खाता-151	मौजा बेलवा खाता 151	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	8 डी0	2 डी0	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पति है (हां या ना)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	रजिस्ट्रित समपि की दिशा में क्रय की तारीख	13.05.15	13.05.15	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दिशा में)	रु0 1,26,000.00	रु0 1,26,000.00	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास स्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	10 लाख	3 लाख	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



10/5/18

Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्र. की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास समिती आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	अनुमानित बालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों), रोडवर्क संख्यांक (संख्यांक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरस्त में आई संपत्ति है (हो या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास समिती आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित बालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल बालू बाजार मूल्य	35 लाख	3 लाख	शून्य	शून्य	शून्य



(a) में लोक वितीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/शोध्यों के ब्यारे नीचे देता हूँ।

(दिप्पन:कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्याष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यारे का पृथक विवरण दें)

क्र.सं.	विवरण	रकम	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वितीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वितीय संस्था का नाम, बकाया, रकम ऋण की प्रकृति)	सेन्ट्रल बैंक गैरकी प्रधान मंत्री ऋण योजना ₹0-10,00000.00 वाहन ऋण मदनी मोटर्स 15000.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्याष्टिकों निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	1015000.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

[Handwritten Signature]
10/5/18

[Handwritten Signature]
Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

(ii) सरकारी शोध सरकारी आगार से बरतने वाले विभागों को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
टेलीफोन/ मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आय-कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रखाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नगरपालिका/सम्पत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
या कोई अन्य वास्तविक विकल्प है, यदि हाँ तो उचित रकम और उस मापिकारी जिसके समक्ष यह उचित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:-

- (क) स्वयं-काश्तकारी
(ख) पति या पत्नी -गृहणी

(9क) आय के (स्रोतों) के ब्यौरे:-

- (क) स्वयं-काश्तकारी
(ख) पति या पत्नी -गृहणी

(10) मेरी शैक्षणिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है:- मैट्रिक-आजाद एकेडमी, अररिया।

आई0एस0सी0 मिलिया कॉलेज, अररिया।

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

[Handwritten Signature]
10/5/18

7
[Handwritten Signature]
10/5/18
Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

भाग-ख

(1) भाग-क के (1) से (10) तक में लिए गये ब्यौरे का उद्घाहरण:-

1	अभ्यर्थी का नाम	गैसुल आजम				
2	डाक का पता	ग्राम-कुरसैल, कोचटोला पो0-कुरसैल, थाना-जोकीहाट, जिला-अररिया।				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	50-जोकीहाट				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	जनअधिकार पार्टी				
5	(1) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं	शून्य				
	(2) मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने मंजूर किया है (उपर मद (1) में उल्लिखित मामलों सं भिन्न)	शून्य				
	(3) ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया (नोक प्रोविडित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य				
	का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए आय आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित		
	(क) अभ्यर्थी	AVKPA235G	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	रकम	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
10	जंगम आस्तियां (कुल मुल्य)	287522.00	200000.00	शून्य	शून्य	शून्य



Handwritten signature and date: 10/5/18

8
Ranjan Kumar Verma
Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

10	स्थावर आस्तियां					
I.	स्वआर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	3,76,000.00	1,26,000.00	शून्य	शून्य	शून्य
II.	क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकसीत / संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	10 लाख	3 लाख	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	25 लाख	शून्य			
	दायित्व					
	सरकारी शोध्य(कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वित्तीय संस्थाओं और अन्य सं. ऋण (कुल)	10,15,000.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य दायित्व जो विवादाधीन है।					
	(i) सरकारी शोध्य(कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य सं ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता: आई0एस0सी0, बिहार इंटर काँसिल, पटना। (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्सा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।					



AS
AN
10/5/18

RKV 10/5/18
Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

सत्यापन



उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता है कि इस शपथपत्र को जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई नाम मिथ्या नहीं है तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:-

शपथपत्र के उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित कोई भी नामला या लंघित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंघित मामला नहीं है, **Authorised O/S of the Indian Evidence Act (Act I of 1872) read with 8 (D) (e) of the Notaries Act (Act II of 1952)**

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 10.05.18 को सत्यापित किया गया, **Who is identified by A.K. Mishra Advocate solemnly affirmed and declare before me.** *श्री सुकुल आजाज* अभिसाक्षी

शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए। **NOTARY ARARIA (BIHAR)**

टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4. शपथपत्र टंकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिजर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 8002163155

मेरा ई-मेल आईडी0डी0 (अगर कोई हो) है शून्य

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है शून्य

RS-15/
09.05.18

Annexure -



to be submitted by candidates

Election to Legislative Assembly (Name of the House),

From 50 - Jankhat Constituency.

AFFIDAVIT No - 111 / 2018

NOTARY ARARIA



Ghousul Azam (Name of Candidate), Son/Daughter/wife of Rashid, aged 30 years, Resident of.....

Kursail Koach Tola, Po - Kursail, Dist - Araria a Candidate at the above election do solemnly affirm and state on oath as under :-

(i) I have not been allotted any govt. accommodation at any time during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election.

OR

(ii) I have been allotted govt. accommodation at _____ (mention the address of the accommodation) during the period of last 10 years prior to the date of notification of the current election, and there are no arrears of any dues to be paid towards rent for the accommodation or any arrears to the agencies providing electricity, water and telephone at the said accommodation as on _____ (the date should be the last date of the 3rd month prior to the month in which the election is announced).

(iii) "No dues Certificates" from the agencies concerned are attached hereto.

Authorized U/S 8b of the Indian Evidence Act (Act I of 1872) read with S (1) (e) of the Notaries Act (Act V of 1952)

VERIFICATION

I, the deponent above named, do hereby verify and declare that the above statements are correct to the best of my knowledge, and no part of it is false.

Verified at Araria this the 10th day of May 2018

गौसुल अज़म

DEPONENT

Sri/Smt. Ghousul Azam
Who is identified by A.K. Mishra
Advocate solemnly affirmed and declare before me.
Ranjan Kumar Verma
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

Identified
As per M.L.A.
10/5/18
10/5/18